**प्रेस नोट** **30/01/2025**

**एक अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की विभिन्न आभुषण बरामद–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.01.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिगं के दौरान मु0अ0सं0 45/25 धारा 305ए बीएनएस में वांछित अभियुक्ता सजबुन निशा पत्नी निजामुद्दीन निवासी घुटमा थाना रानीपुर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मंगलसूत्र, एक जोडी कान का कुण्डल पीली धातु, एक जोडी पायल, एक जोडी पैजनी, एक अँगुठी सफेद धातु बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस संबध में धारा 217(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्ता–**

1. सजबुन निशा पत्नी निजामुद्दीन निवासी घुटमा थाना रानीपुर जनपद मऊ ।

**बरामदगी–**

1. एक अदद मंगलसूत्र, एक जोडी कान का कुण्डल पीली धातु, एक जोडी पायल, एक जोडी पैजनी, एक अँगुठी सफेद धातु ।

**"आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा अवैध गांजा,हीरोइन, चरस, डायजापाम व अन्य मादक पदार्थ कुल 3779.73462 किग्रा का कराया गया विनष्टीकरण–**

"आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के पर्वेक्षण/नेतृत्व में बरामद/मुकदमाती मालों/अवैध गांजा,हीरोइन, चरस, डायजापाम व अन्य मादक पदार्थ का कराया जा रहा विनष्टीकरण। विनष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा मादक पदार्थो, स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थो के निस्तारण की कार्यवाही के क्रम में दिनांक 30.01.2025 को जनपद मऊ पुलिस द्वारा जनपद के 12 थानों पर अवैध मादक पदार्थो से संबंधित पंजीकृत कुल 275 अभियोगों से सम्बंधित अवैध गांजा,हीरोइन, चरस, डायजापाम व अन्य मादक पदार्थ कुल 3779.73462 किग्रा जिसकी अनुमानित कीमत 17 करोड़ 86 लाख 34 हजार 636 रुपये का विनष्टिकरण मानक के अनुसार मेसर्स सिलिकॉन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, भादो, माहुल, मार्टीनगंज थाना क्षेत्र दीदारगंज जनपद आजमगढ़ में स्थित उद्योग में स्थापित/संचालित इंसीनिरेटर/ब्वायलर के माध्यम से कराया गया। जिसका मौके पर फोटो विडियोग्राफी किया गया।

**अवैध गांजा,हीरोइन, चरस) के विनष्टीकरण हेतु उपस्थित टीम का विवरण-**

01. श्री ओ0एच0 सिद्दीकी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़।
02. अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि ।
03. क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय । जनपद मऊ।
04. समस्त थानाध्यक्ष जनपद मऊ ।

**‘आपरेशन क्लीन’ अभियान के अन्तर्गत थाना रानीपुर पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 10 वाहनों (01 चारपहिया, 09 दोपहिया) की नीलामी कराकर कुल ₹116400/- (एक लाख 16 हजार चार सौ रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई।**

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में दिनांक 30.01.2025 को थाना रानीपुर पर विभिन्न जनपदों से आये 05 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 10 वाहनों (01 चारपहिया, 09 दोपहिया) (207 एमवी एक्ट लावारिस) का निस्तारण कराकर जीएसटी सहित कुल ₹116400/- (एक लाख 16 हजार चार सौ रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

**थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा अवैध मादक पदार्थ (शराब) कुल 300 लीटर का कराया गया विनष्टीकरण–**

"आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अवैध शराब का कराया जा रहा विनष्टीकरण। शराब विनष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 30.01.2025 को नायब तहसीलदार गौरव साह मुहम्मदाबाद व प्रभारी निरीक्षक रानीपुर श्री राजीव कुमार सिंह के उपस्थिति में थाना रानीपुर में कुल 16 अभियोगों से सम्बंधित अवैध मादक पदार्थ (शराब) कुल 300 लीटर को गढ्ढा खोदकर गढ्ढे में माल को गिराकर नष्ट कराया गया तथा मिट्टी से पटवाया गया जिसका मौके पर फोटो विडियोग्राफी किया गया।

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तो को 07-07 वर्ष साधारण कारावास व ₹15000-15000 व 17000 के अर्थदंड से हुये दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-01-2025 को मु0अ0सं0 702/2011 धारा 34/323/504/506/304 भादवि थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण रईसूनिसा पत्नी मन्नान, हैदर पुत्र मन्नान, कैशर पुत्र मन्नान, रोबिना पुत्री मन्नान समस्त निवासीगण ग्राम खोगरी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07-07 वर्ष की साधारण कारावास की सजा एवं ₹15,000-15000 व 17000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹21,00 के अर्थदंड से किया गया दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-01-2025 को मु0अ0सं0 103/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त सूर्यवंश पुत्र हीरामन थाना मधुबन मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹21,00 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

**साइबर अपराध से बचने के लिये स्कूल और कॉलेजों में किया गया जागरूक क्रार्यक्रम**

आज दिनांक 30-01-2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री, तथा क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पाण्डेय के पर्वेक्षण में "साइबर जागरूकता कार्यक्रम अभियान" के तहत 'जनपदीय थाना साइबर क्राइम की टीम जनपदीय साइबर टीम में तैनात प्र0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार यादव यादव, साइबर टीम व उ0नि0 अन्शी शुक्ला थाना सरायलखन्सी व उ0नि0 सपना थाना कोतवाली के द्वारा सिटी मोंटेसरी स्कूल कंधेरी मऊ व डीसीएसके खंडेलवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेजों के प्रिंसिपल/अध्यापक/अध्यापिका एवं बच्चे और बच्चियों को मोबाइल फ़ोन प्रयोग और सावधानियो के साथ होने वाले साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया।

सावधानियों को अपनाकर बच्चे साइबर खतरों से बच सकते हैं। बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे किसी भी संदेहास्पद गतिविधि के बारे में तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षक से बात करें।

किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो तत्काल टोल फ्री नम्बर 1930 या वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत जरूर करें। साइबर अपराधों के प्रति जागरूक होकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है ।

आज दिनांक 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना मुहम्मदाबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना परिसर का भ्रमण कर परिसर की साफ-सफाई, बेतरतीब खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने हेतु तथा लावारिस वाहनों व मालों का निस्तारण करने व साफ-सफाई को उच्चकोटि का बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। थाना कार्यालय के निरीक्षण के दौरान रजिस्टरों/रिकार्डो को अद्यविक करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही साथ मालखाना, बन्दीगृह, भोजनालय, आरक्षी आवास, बैरकों, सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण किया गया तथा पायी गयी कमियों पर अतिशीघ्र कमियों को दूर करने हेतु सर्व सम्बन्धित को निर्देशित किया गया, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण करते हुए हेल्प डेस्क पर तैनात महिला आरक्षियों को प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के नियमित रूप से फीडबैक लेने हेतु निर्देशित किया गया।

शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 30.01.2025 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद व भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मऊ मुहम्मदाबाद क्षेत्र में रूट मार्च/पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान कस्बा दोहरीघाट में भ्रमण कर रोड के किनारे अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही साथ समस्त थाना क्षेत्रार्न्तगत क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रुट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।